

कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) बैतूल (म0प्र0)
कमांक 02 अ-82/17-18 भू-अर्जन/912/ बैतूल दिनांक 25-07-2018
ईशतहार 3-8-2018

म0प्र0शासन, राजस्व विभाग, भोपाल द्वारा जारी कय नीति के अन्तर्गत आवेदक विभाग कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग कमांक-2 बैतूल जिला बैतूल (म0प्र0) द्वारा चोरनी-मोरनी लघु जलाशय के लिए भूमि की आवश्यकता होने के कारण ग्राम चुरनी प0ह0न0 56 तहसील बैतूल जिला बैतूल के निम्नानुसार खसरा नम्बर की भूमि आपसी सहमति के आधार पर क्रय करने के प्रस्ताव पेश किए गए है:-

अ0क्र0	खसरा नम्बर	रकबा हे0 में	आवेदक विभाग द्वारा कय किया जाने वाला रकबा हे0 में	धारक का नाम
1	2	3	4	5
1	178	0.170	0.170	चिन्धु, लूट, हरिराम, व0 ढोन्डू, ढिमरे पुत्री ढोन्डू फगनी, समिया व0 जुगन जाति गोंड सा0 देह
2	179	0.247	0.065	टारजन व0 जुगन जाति गोंड सा0 देह
3	173/1	0.809	0.226	कुण्डल व0 फिरतु जाति गोंड सा0 देह
4	173/2	1.287	0.518	मंगलू व0 फिरतु जाति गोंड सा0 देह
5	173/3	0.354	0.175	रामजी व0 भोंदू जाति गोंड निवासी मुचगोहान भूमि स्वामी
6	173/4	0.454	0.180	कुंजीलाल व0 भोंदू जाति गोंड निवासी मुचगोहान भूमि स्वामी,
7	173/5	0.462	0.040	तुलाराम व0 भोंदू जाति गोंड भूमि स्वामी
8	175/18	1.619	0.280	सुन्दरलाल, संती व0 नजरसिंह रमोता, मंगरू, अमरसिंह, बंशीलाल व0 सूरतलाल जाति गोंड सा0 देह
योग			1.654	

अतएव आवेदक जल संसाधन विभाग द्वारा ग्राम चुरनी तहसील बैतूल के उपरोक्तानुसार खसरा नम्बर की कुल 1.654 हे0 भूमि आपसी सहमति से कय करने के सम्बंध में किसी भी पक्षकार या किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो ईशतहार के प्रकाशन होने की तारीख से 15 दिवस की अवधि में आपत्ति स्वयं या अपने अधिवक्ता या अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बैतूल के समक्ष प्रस्तुत कर सकते है। नियत समयवधि के बाद प्राप्त किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 25-7-2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी।



(सशांक मिश्र)
कलेक्टर,
बैतूल

पृ0क0 02 अ-82/वर्ष 17-18/भू-अर्जन 912/ बैतूल दिनांक 25- 07-2018
प्रतिलिपि:- 3-8-2018

- 1- संचालक, जनसम्पर्क संचालनालय, विज्ञापन शाखा बानगंगा चौराह के पास, भोपाल को सूचनार्थ (पांच प्रतियों में) अग्रेषित। कृपया उक्त ईशतहार का प्रकाशन एक प्रदेश स्तर के समाचार पत्र एवं एक स्थानीय स्तर के समाचार पत्र में कर इस कार्यालय को समाचारपत्रों की प्रति भी भेजने का कष्ट करें।
- 2- कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 बैतूल को सूचनार्थ अग्रेषित। ईशतहार का प्रकाशन एक स्थानीय पेपर में कराया जाकर प्रकाशित समाचार पत्र की एक प्रति इस कार्यालय को भेजी जावे। साथ ही कार्यालयीन सूचना पटल पर चस्पा करवाया जाकर पालन प्रतिवेदन तत्काल प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।
- 3- प्रभारी एन आई सी सेन्टर बैतूल की ओर समूचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर अपलोड किए जाने हेतु अग्रेषित ।
- 4- प्रभारी अधिकारी (नजारत शाखा) कलेक्टर कार्यालय बैतूल की ओर (दो प्रतियों में) अग्रेषित। एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाएं तथा एक प्रति में पालन प्रतिवेदन भेजने हेतु ।
- 5- अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बैतूल की ओर (दो प्रतियों में) अग्रेषित। एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाएं तथा एक प्रति में पालन तत्काल भेजना सुनिश्चित करें।
- 6- तहसीलदार बैतूल की ओर (तीन प्रतियों में) में अग्रेषित । एक प्रति तहसील कार्यालय में तथा एक प्रति क्रय की जाने वाली भूमि के प्रस्तावित स्थल पर चस्पा करावे एवं एक प्रति में पालन प्रतिवेदन तत्काल भेजना सुनिश्चित करें।
- 7- जिला जनसम्पर्क अधिकारी, बैतूल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित। प्रकाशित विज्ञापन की प्रति कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) बैतूल को उपलब्ध करावें।
- 8- सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत चुरनी तहसील बैतूल जिला बैतूल (म0प्र0) की ओर ईशतहार का उक्त प्रकाशन ग्राम पंचायत के सूचना पटल पर करवाने हेतु अग्रेषित ।


कलेक्टर,
बैतूल
